आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

4.9.17

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 249/2016–17

1. मो0 सलाउद्दीन, मो0 अबुजर उर्फ जुमना, मो0 शमीर, मो0 अरमान, बीबी रेहाना, बीबी गुफराना, सभी पिता–स्व0 मो0 ताजउद्दीन, सभी सा0–बेलवा घाट, टोला+पो0–गैयारी, थाना+जिला–अररिया।
2. मो0 साजरा, पति–स्व0 मो0 ताजुद्दीन, सा0–बेलवा घाट, टोला+पो0–गैयारी, थाना+जिला–अररिया – आवेदकगण

बनाम

1. मो0 सिद्दीक व मो0 सफीक व मो0 रफीक, पिता–मो0 हनीफ
2. सौकत अली व अरसद अली व हजरत अली, पिता–स्व0 इद्रीश,

सभी सा0–बेलवा घाट, टोला–गैयारी, थाना+जिला–अररिया – प्रतिवादीगण

आदेश

प्रस्तुत वाद अंचलाधिकारी, अररिया के पत्रांक 3962, दिनांक 13.12.2016 द्वारा निम्न विवरण की जमीन का जमाबंदी रद्द करने हेतु अभिलेख सं0 11/2016–17 द्वारा विपक्षीगणों के नाम दर्ज जमाबंदी सं0 4278 को रद्द करने हेतु अनुशंसा सहित इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा	जमाबंदी सं0
बेलवा अंचल–अररिया	297	778	1152	4 डी0	4278

न्यायालय द्वारा अंचलाधिकारी, अररिया के अनुशंसा के आलोक में उक्त वाद को बिहार दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 की धारा 9 के तहत विचारार्थ प्रविष्ट करते हुए पक्षकारों को सूचना निर्गत की गई। सूचनोपरांत पक्षकारों द्वारा अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। तत्पश्चात् उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक के पिता के नाम से वादग्रस्त भूमि से रकवा 5 डी0 का बासगीत पर्चा वाद सं0 25/1992–93 द्वारा प्राप्त है। पर्चा के आधार पर जमाबंदी सं0 778 दर्ज है। द्वितीय पक्ष द्वारा वादग्रस्त खेसरा से रकवा 4 डी0 भूमि भूधारी से क्रय किया गया। जिसका उनके दर्ज जमाबंदी सं0 778 से भूमि घटाकर नामान्तरण वाद सं0 953/2012–13 द्वारा जमाबंदी सं0 4278 दर्ज कर

दिया गया है। आवेदक के जमाबंदी में मात्र शेष 1 डी0 भूमि रह गई है। आवेदक का पर्चा वाली भूमि पर घर–द्वार के साथ दखल–कब्जा कायम है। वर्त्तमान में क्रेता द्वारा मान्नीय मुंसफ न्यायालय, अररिया में T.S. वाद सं0 26/2017 दाखिल किया गया है। जबकि विपक्षीगणों को बासगीत पर्चा के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर किया जाना चाहिए था।

इनका यह भी कहना है कि आवेदकगणों की ओर से वादग्रस्त भूमि पर विपक्षीगणों के साथ विवाद उत्पन्न होने पर विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत वाद सं0 119/2014–15 दाखिल किया गया। जिसमें विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा दिनांक 01.07.2016 को आवेदकगणों के पक्ष में फैसला देते हुए उनके निर्गत बासगीत पर्चा को सही पाते हुए क्रेतागणों (विपक्षीगणों) के नाम दर्ज जमाबंदी को रद्द करने का प्रस्ताव इस न्यायालय को भेजे जाने का निदेश अंचलाधिकारी को दिया गया है। साथ ही प्रश्नगत भूमि से विपक्षीगणों को आवेदक के दखल–कब्जा में हस्तक्षेप न करने का आदेश पारित किया गया है।

अतएव क्रेतागणों के नाम से वादग्रस्त भूमि का दर्ज की गई जमाबंदी सं0 4278 को रद्द करने का अनुरोध करते है।

दूसरी ओर विपक्षीगणों के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि वर्त्तमान वाद निर्वहन योग्य नहीं है, क्योंकि वादग्रस्त भूमि पर पक्षकारों के बीच T.S. No. 119/2016 मान्नीय मुंसफ न्यायालय, अररिया में लंबित है। विपक्षीगणों के नाम दर्ज जमाबंदी सही है, क्योंकि विपक्षीगणों द्वारा वादग्रस्त भूमि खतियानी रैयत के वारिशानों से क्रय की गई है। जिन्हें हिस्से में 2½ हिस्सा प्राप्त है। जिसमें हिस्से के अनुसार विक्रेता दखलकार रहते हुए निबंधित केवाला दिनांक 29.1.2000 द्वारा क्रेता विपक्षीगणों को भूमि बिक्री की गई है। जिसपर वे लोग खास दखलकार होकर विधिवत नामान्तरण वाद सं0 953/2012–13 द्वारा दाखिल–खारिज कराकर लगान भुगतान करते आ रहे है। आवेदकगणों के नाम निर्गत बासगीत पर्चा जाली एवं गलत है। आवेदकगण को निर्गत पर्चा के संबंध में उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। बासगीत पर्चाधारी मो0 तमीजउद्दीन भूमिहीन व्यक्ति नहीं है और न ही वे प्रश्रय प्राप्त रैयत की श्रेणी में आते हैं। आवेदकगणों का घर खेसरा सं0 1151 पर है, जिसपे वे सपरिवार निवास कर रहें है। जबकि वादग्रस्त भूमि पर विपक्षीगणों का शांतिपूर्ण दखल–कब्जा कायम है। अतएव बासगीत पर्चा वाद सं0 25/1992–93 जो जाली है, के आधार पर आवेदकगणों का दावा गलत है। अतः आवेदक के दावे को अस्वीकृत करने का अनुरोध करते है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेखों के परिशीलन तथा संलग्न साक्ष्यों के गहन परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत मौजा–बेलवा, थाना नं0 297, खाता सं0 778, खेसरा सं0 1152, कुल रकवा 5 डी0 का बासगीत पर्चा

वाद सं0 25/1992–93 के द्वारा आवेदकगणों के पूर्वज मो0 तमीजउद्दीन, पिता–शे0 युसूफ, सा0–बेलवाघाट के नाम से निर्गत है। जिसका विधिवत जमाबंदी सं0 778 कायम हुआ। आवेदकगणों द्वारा बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत वाद सं0 119/2014–15 में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के पारित आदेश के आलोक में विपक्षीगणों के नाम दर्ज जमाबंदी सं0 4278 को रद्द करते हुए वादग्रस्त भूमि पर दखल दिलाये जाने हेतु दाखिल आवेदन के आलोक में अंचलाधिकारी, अररिया द्वारा बासगीत पर्चा निर्गत होने के उपरांत वादग्रस्त भूमि का केवाला के द्वारा हस्तांतरण को अवैध पाते हुए सृजित जमाबंदी सं0 4278 को रद्द करने की अनुशंसा सहित अभिलेख सं0 11/2016–17 इस न्यायालय को प्रेषित किया गया। विपक्षीगणों के नाम से केवाला के आधार पर नामान्तरण वाद सं0 953/2012–13 द्वारा जमाबंदी सं0 4278 दर्ज है। जो बासगीत पर्चाधारी (आवेदकगणों के पूर्वज) के नाम संधारित जमाबंदी सं0 778 से घटाकर दर्ज की गई। इस प्रकार बासगीत पर्चाधारी के जमाबंदी सं0 778 में मात्र 1 डी0 भूमि अवशेष रह गई। जबकि बासगीत पर्चा भूमि अहस्तांतरणीय है और विपक्षीगणों द्वारा और न ही उनके विक्रेता द्वारा आवेदकगणों के बासगीत पर्चा को सक्षम न्यायालय में कोई चुनौती दी गई है। जबतक आवेदकगणों के पूर्वज के नाम दर्ज बासगीत पर्चा सक्षम न्यायालय द्वारा रद्द नहीं हो जाता है, तबतक उनके दर्ज जामबंदी को रद्द किया जाना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः विपक्षी के नाम वादग्रस्त भूमि मौजा–बेलवा, थाना नं0 297, खाता 778, खेसरा 1152, रकवा 4 डी0 भूमि का दर्ज जमाबंदी सं0 4278 को रद्द किया जाता है। क्योंकि यह बासगीत पर्चा वाली भूमि से घटायी गई है।

अंचल अधिकारी, अररिया को आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त रकवा 4 डी0 भूमि को मूल जमाबंदी 778 में शामिल करना सुनिश्चित करेंगे।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख अंचलाधिकारी, अररिया को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह०

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ह०—

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 124 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 04 / 09 /2017

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, अररिया को उनके जमाबंदी रद्दीकरण (सुधार) वाद सं0 11/2016–17 मूल के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

4.9.17

अपर समाहर्त्ता,
अररिया